न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 131/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/188)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
जगदेव सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। मलकीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। रणजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	1. बलविन्द्र कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. चरणजीत कौर पत्नी सतवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलकरण सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. शिवराज सिंह पुत्र टाना सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 5. सतवीर सिंह पुत्र टाना सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 6. हरदीप सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 7. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 19.05.2025

पस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

दिनांकः 08.10.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46, 47, 53/26, 53/44 की कुल 8.006 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 37/28 के मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 3.440 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की 0.810 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने आपसी काश्त सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपनी-अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादीगण उक्त भूमि पर काफी वर्षो से निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादीगण का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 10 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ. नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46, 47, 53/26, 53/44 की कुल 8.006 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 37/28 के मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 3.440 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की 0.810 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम दर्ज भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

सहायक कलक्टर एंव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46, 47, 53/26, 53/44 की कुल 8.006 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 37/28 के मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 3.440 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की 0.810 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण जगदेव सिंह, मलकीत सिंह, रणजीत सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 2482 दिनांक 07.10.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46, 47, 53/26, 53/44 की कुल 8.006 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 37/28 के मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 3.440 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की 0.810 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	जगदेव सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (2.533 हैक्टेयर)	12 ओ	28	8/2	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				9, 10, 11	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				12	0.155 हैक्टेयर	नहरी	1.38
				16	0.240 हैक्टेयर	नहरी	2.13
				17	0.240 हैक्टेयर	नहरी	2.13
				18	0.184 हैक्टेयर	नहरी	1.63
			47	15	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
				19	0.170 हैक्टेयर	नहरी	1.51
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				21	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.91
				22	0.170 हैक्टेयर	नहरी	1.51
2	मलकीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (3.228 हैक्टेयर)	12 ओ	46	6 ता 10	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.25
				11 ता 14	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				15	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			47	15	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
				16	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				17	0.168 हैक्टेयर	नहरी	1.49
				24	0.168 हैक्टेयर	नहरी	1.49
				25	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.91

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

...जीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह ...ाति जटसिख निवासी 46 एफ ...ीडा तहसील श्रीकरणपुर। (3.392 हैक्टेयर)	12 ओ	27	3	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.57
			4	0.164 हैक्टेयर	नहरी	1.46
			5	0.164 हैक्टेयर	नहरी	1.46
			6 ता 9	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			11/1	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.23
			12 ता 15	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
		47	15	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
			17	0.085 हैक्टेयर	नहरी	0.76
			18	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
			19	0.083 हैक्टेयर	नहरी	0.74
			22	0.058 हैक्टेयर	नहरी	0.52
			23	0.214 हैक्टेयर	नहरी	1.90
			24	0.060 हैक्टेयर	नहरी	0.53

...खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना ...। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर ...र से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला (श्रीगंगानगर)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगदेव सिंह आदि बनाम बलविन्द्र कौर आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 131/2025

निर्णय दिनांकः-08.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46, 47, 53/26, 53/44 की कुल 8.006 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 37/28 के मुरब्बा नम्बर 45, 46, 47, 53/41 की कुल 3.440 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 68/60 के मुरब्बा नम्बर 28 की 0.810 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
	जगदेव सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (हैक्टेयर)	12 ओ	28	8/2	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				9, 10, 11	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				12	0.155 हैक्टेयर	नहरी	1.38
				16	0.240 हैक्टेयर	नहरी	2.13
				17	0.240 हैक्टेयर	नहरी	2.13
				18	0.184 हैक्टेयर	नहरी	1.63
			47	15	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
				19	0.170 हैक्टेयर	नहरी	1.51
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				21	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.91
				22	0.170 हैक्टेयर	नहरी	1.51
2	मलकीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (हैक्टेयर)	12 ओ	46	6 ता 10	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.25
				11 ता 14	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				15	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			47	15	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
				16	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				17	0.168 हैक्टेयर	नहरी	1.49
				24	0.168 हैक्टेयर	नहरी	1.49
				25	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.91
3	रणजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (हैक्टेयर)	12 ओ	27	3	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.57
				4	0.164 हैक्टेयर	नहरी	1.46
				5	0.164 हैक्टेयर	नहरी	1.46
				6 ता 9	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				11/1	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.23
				12 ता 15	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			47	15	0.084 हैक्टेयर	नहरी	0.75
				17	0.085 हैक्टेयर	नहरी	0.76
				18	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				19	0.083 हैक्टेयर	नहरी	0.74
				22	0.058 हैक्टेयर	नहरी	0.52
				23	0.214 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				24	0.060 हैक्टेयर	नहरी	0.53

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 14.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	700	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**704**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/770
दिनांकः 14.10.2025

प्रतिलिपिः- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर